# भाजपा ऑफिस पर सभा फिर पैदल कूच कर दी गिरफ्तारियां

## महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का सचिवालय महाघेराव, कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब : सी.पी.जोशी

प्रदेश में बिगडती कानून व्यवस्था और चरम पर पहुंचे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की ओर से कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर सचिवालय के लिये कूच किया।

- भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने छोड़ा पानी, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा हुए घायल
- 'कांग्रेस का चरित्र घोटालों से लबालब'
- इधर से फाइल डालो, उधर से सोना निकलेगा, लूट सको तो लूट लो, के ढर्रे पर गहलोत सरकार : अरूण सिंह
- रिपीट नहीं डिलिट होगी कांग्रेस सरकार, एक लाख इनाम घोषित करने पर भी ढूंढ नहीं पाएंगे कांग्रेसी विधायक : राजेन्द्र राठौड़

**जयपुर।** प्रदेश में बिगडती कानून व्यवस्था और चरम पर पहुंचे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनूठी पोशाक, पोस्टर बैनर और तख्ती लेकर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। प्रदेश कार्यालय के बाहर भाजपा नेताओं ने जयपुर जिले से पहुंचे लोगों को संबोधित किया। इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर सचिवालय घेराव के लिए कूच किया। इस दौरान पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोकना चाहा, लेकिन भ्रष्ट गहलोत सरकार के खिलाफ व्याप्त रोष के आगे पुलिस के बैरिकेट भी कमजोर पड़ गए।

स्टैच्यू सर्किल पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर जोर अजमाईश चलती रही। इसके बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता सचिवालय की ओर आगे बढ़ गए। जहां भ्रष्ट कांग्रेस सरकार का पूतला फूंका और भ्रष्ट गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन की बौछारें चलाई और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

सचिवालय कूच से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री एंव प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने कहा कि आमजन में सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार की गति विकास से चैगुनी है, प्रदेश में घूसखोरी के मामले 22 प्रतिशत से ज्यादा बढे हैं। प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने योजना भवन में मिले कैश और सोने के मामले में सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहां गहलोत का नया फॉर्मूला आया है, इधर से फाईल डालो, उधर से सोना निकालो।

प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की महाभ्रष्ट सरकार के खिलाफ रणभेरी बज चुकी है। कांग्रेस सरकार के दो ही काम हैं कुशासन और भ्रष्टाचार। काँग्रेस 60 साल से यह नारा लगाती आ रही है काँग्रेस आयेगी गरीबी मिटेगी। गरीबी देश की नहीं, सिर्फ काँग्रेस के नेताओं की मिटी वह भी भ्रष्टाचार कर करके। काँग्रेस सरकारों के जीप घोटोले और बोफोर्स घोटाले का हवाला देते हुए कहा कि जिस सरकार का श्रीगणेश ही भ्रष्टाचार से होता है उस पर प्रदेश की जनता कैसे विश्वास कर सकती है। प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। युवा, किसान और आम जनता इस भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। पेपर लीक घोटाला, अवैध बजरी घोटाला, सरकारी ऑफिसों में करोडों रूपये मिलने का घोटाला, परिवहन में घोटाला, इतने घोटाले हुये कि प्रदेश आज घोटालों का गढ़ बन चुका है।

प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आव्हान करते हुए कहा कि जहां-जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून का कतरा कतरा बहा देंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ललकारते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग शुरू हो चुकी है। सर से नख तक भ्रष्टाचार में डूबी अली बाबा 40 चोरों की सरकार रीट भर्ती में घोटाला करती है, उसके बाद जब अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं, तो उनपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाती है, शहीदों की वीरांगनाओं पर लाठीचार्ज करती है। राठौड़ ने कहा कि अन्नपूर्णा किट घोटाला, बिजली खरीद घोटाला, किसानों को बिजली ना देना ये सारे कारनामें जनता नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि जैसे चेचक रोग को समाप्त करने के लिए मुहिम चलाई गई थी, कि चेचक रोगी लाओ दस हजार रूपए पाओ उसी तरह कांग्रेस की स्थिति होगी। अगले चार महिने बाद एक लाख रूपए लो कांग्रेसी विधायक ढूंढकर दिखाओ जैसी मुहिम चलेगी।

राज्यसभा सांसद किरोडी लाल मीणा ने अपने संबोधन में गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार ने जांच के बाद डीपी जारोली क्लीन चिट दे दिया। प्रदेश में सोलह प्रतियोगी परीक्षाऐं हुईं और सभी के पेपर लीक हो गये। इसके अलावा आईटी सेक्टर में पांच हजार करोड़ का घोटाला पाया जाता है, जिसकी एसीबी में जांच के लिए सरकार से स्वीकृति मांगे जाने पर मना कर दिया जाता है।

पुलिस की बर्बरता का शिकार हुये भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा को घायल अवस्था में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा बैरिकेटिंग तोड़कर सचिवालय की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, वहीं पुलिसकर्मियों से हुई झड़प के दौरान शर्मा को काफी चोटें आईं। इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा के कईं कार्यकर्ताओं को चोटें लगी हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल ले जाया गया।

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा ने बताया कि भजनलाल शर्मा को कार्डिक आईसीयू में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि भजनलाल को प्रदर्शन के बीच घबराहट होने व उल्टी होने पर एसएसएस लाया गया। यहां जांच करने पर उनका बीपी और पल्स रेट अधिक हो रही थी। इस पर उन्हें कार्डिक आईसीयू में भर्ती किया गया। देर रात तक उनका बीपी व पल्स नॉर्मल हो गए थे। ऐतियात के तौर पर उनकी ईसीजी व अन्य जांच करवाई गई है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य लोग कुशलक्षेम लेने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे।

इन नेताओं ने भी संबोधित किया उनमे राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, रामचरण बोहरा, जसकौर मीणा, राजेन्द्र गहलोत, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा, कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी, निर्मल कुमावत, संजय शर्मा, मनजीत चैधरी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, अरूण चतुर्वेदी, राजपाल सिंह शेखावत, मोहनलाल गुप्ता, सुरेन्द्र पारीक, प्रेमचन्द बैरवा, ज्ञानदेव आहुजा, कन्हैयालाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी, लक्ष्मीकान्त भारद्वाज, श्रवण सिंह बगडी, महेन्द्र यादव, श्याम अग्रवाल और नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर, उपमहापौर पुनीत कर्नावट, जिला प्रमुख रमा चौपड़ा, जयपुर शहर राघव शर्मा, जयपुर दक्षिण जिलाध्यक्ष रामानन्द गुर्जर, जयपुर उत्तर जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा सहित सभी मोर्चों के प्रदेशाध्यक्षों ने संबोधित किया।

## शहीद भंवरलाल भाकर को नमन किया

**जयपुर।** कारगिल युद्ध के शहीद एवं वीर चक्र प्राप्त शहीद सूबेदार भंवर लाल भाकर की शहादत की 24वीं वर्षगांठ पर नागौर जिले के डीडवाना तहसील में स्थित उनके पैतृक गांव थेबड़ी में सोमवार शाम को आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर पुष्प एवं मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को नमन एवं सलाम किया गया।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक चेतन डूडी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। इसी तरह तहसीलदार मूलचंद उज्ज्वल, पूर्व प्रधान जालाराम भाकर, खोजास गांव के सरपंच रामनिवास रायल, पूर्व कैप्टेन रुपाराम, पूर्व सैनिक देवाराम एवं अन्य कई पूर्व सैनिकों तथा मार्बल व्यवसाई दीनाराम डूडी एवं भूराराम सहित कई लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर शहीद की पत्नी एवं वीरांगना गोगी देवी, शहीद की मां करीब सौ वर्षीय चूंकी देवी, उनके पुत्र तिलोकराम एवं रामूराम, शहीद के भाई मनरुपाराम , शहीद की बहु सुनीता एवं सरोज सहित परिवार के सदस्यों के अलावा रिश्तेदार एवं थेबड़ी गांव के अलावा आस पास के गांवों के कई लोगों ने शहीद को नमन किया। इस अवसर पर प्रसादी एवं रात्रि जागरण कार्यक्रम भी किया गया। उनकी वर्षगांठ पर हर वर्ष मेला जैसा लगता और इसमें आने वाले युवा उनकी शहादत से प्रेरणा पाते हैं। यहां युवा शहीद की बरसी के अलावा भी अन्य दिन भी आकर उन्हें नमन करते हैं।

## सोने के तस्कर को सजा

**जयपुर।** आर्थिक अपराध मामलों की विशेष एसीएमएम कोर्ट ने मस्कट से बिना सीमा शुल्क चुकाए सोना और विदेशी घडियों की तस्करी करने वाले अभियुक्त सैयद अहमद अल्ताफ को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने कर्नाटक निवासी इस अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को डेढ़ माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी।

## 'शारीरिक व मानसिक विकास के लिए योग जरूरी'

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय जयपुर की ओर से सोमवार को महालेखाकार कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

**जयपुर, (का.सं.)।** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय जयपुर द्वारा आज महालेखाकार कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर में योग दिवस काउंटडाऊन के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता एंव योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मे भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के अधिकारी एंव कर्मचारियो ने सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार के. सुब्रमण्यम, महालेखाकार रामावतार शर्मा, वरिष्ठ उपमहालेखाकार मीना कुमारी मीणा, उपमहालेखाकार प्रतिभा सिंह, केन्द्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रामखिलाड़ी मीणा, सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा एंव संतोष वेंकटरमन उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप मे प्रधान महालेखाकार ने योग की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए योग का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि पहले आम जन को योग के बारे मे इतनी जानकारी नही थी लेकिन पिछले 9 वर्षो से देश मे ही नही विदेशों मे भी योग का महत्व बढा है। योग के बारे मे आम जन को जागरुक करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम उपयोगी साबित हुए है। उन्होने उपस्थित सभी अधिकारी एंव कर्मचारियो से योग को अपनी दैनिक जीवनशैली मे अपनाने की अपील की।

इस अवसर पर केन्द्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रामखिलाड़ी मीणा ने बताया कि केन्द्रीय संचार ब्यूरो जयपुर शहर मे कार्यरत भारतीय डाक विभाग, केनद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे, आयकर विभाग तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के सहयोग से सामान्य योग प्रोटोकॉल के प्रदर्शन करवा चुका है।

## भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के पी.एस.ओ. की पिस्टल चोरी

**जयपुर (कासं)।** सचिवालय घेराव के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी.जोशी के पी.एस.ओ. महेन्द्र मीणा की पिस्टल चोरी हो गई। जिसकी शिकायत अशोक नगर थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार पीएसओ ने कहा है कि उसकी पिस्टल किसी अज्ञात व्यक्ति ने निकाल ली है। शिकायत में बताया गया कि जब रैली स्टैच्यू सर्किल पहुंची और भीड़ पर जब वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तब भीड़ के तितर-बितर होने के दौरान उनकी सरकारी पिस्टल चोरी हो गई।

## उत्तरप्रदेश में डॉ. सतीश पूनिया ने कहा, "कांग्रेस ने किसानों से झूठ बोला"

### पुराना मिथक टूटेगा, मैनपुरी, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें 2024 में भाजपा अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी : डॉ. पूनिया

उत्तरप्रदेश के सम्भल लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने प्रबुद्धजन से संवाद किया और जनसभा को संबोधित किया।

**सम्भल/जयपुर।** केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तरप्रदेश के सम्भल लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने प्रबुद्धजन से संवाद किया और जनसभा को संबोधित किया। बुधवार को मैनपुरी में प्रबुद्धजन सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन और जनसभा को संबोधित करेंगे।

डॉ. पूनिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, एक तो वह वक्त था जब कारसेवकों पर गोलियां चल रही थी, उस समय कोई अंदाज नहीं लगा सकता था कि क्या वक्त होगा, क्या भगवान राम की महिमा उन्हीं के जन्म स्थान पर हो पायेगी, लेकिन देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि हमने अपने आराध्य भगवान श्रीराम की जन्मभूमि को महिमामंडित किया और दुनिया देखेगी कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस को 55 साल तक राज करने का अवसर मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद दूंगा की कांग्रेस के पाखंड को और नकाब को खींच डाला और कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए भी तरसा दिया। उनको जगह मिली केरल के वायनाड में और रायबरेली और अमेठी की जनता ने भी कांग्रेस से पीछा छुड़ा लिया। राजस्थान से आया हूं जो शौर्य और वीरता की भूमि है, यह धरती उत्तर प्रदेश के तमाम उन शूरवीरों को नमन करती है, यह धर्म, संस्कृति, विरासत और अध्यात्म की धरती है।

उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान से हूं और कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने 2018 में राजस्थान के किसानों से वादा किया था 10 तक गिनती गिनूंगा और राजस्थान के किसानों का सारा कर्जा माफ हो जाएगा, आज पंद्रह सौ से ज्यादा दिन हो गए, इस देश में किसानों से वादाखिलाफी करने वाली कांग्रेस पार्टी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मुझे पार्टी ने आदेश दिया और यहां आप लोगों के बीच में भेजा, तो मैंने यहां देखा कि 2019 में मैनपुरी, संभल, अमरोहा और मुरादाबाद इन चारों ही लोकसभा सीटों पर हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चारों ही सीटों पर कार्यकर्ताओं की मजबूत इच्छाशक्ति देखता हूं, भीषण गर्मी में बहजोई की इस जनसभा ने यह संकेत तो साफ दे दिया है कि पुराना मिथक टूटेगा इन चारों लोकसभा सीटों सहित उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें 2024 में भाजपा अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी, देशभर में भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक जीत के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।


**तीये की बैठक**

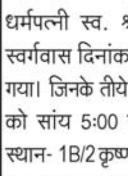

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी **श्रीमती ज्ञान देवी** धर्मपत्नी स्व. श्री निरंजन सिंह का स्वर्गवास दिनांक 12.06.2023 को हो गया। जिनके तीये की बैठक 14.6.2023 को सांय 5:00 से 6:00 बजे निवास स्थान- 1B/2 कृष्णा नगर, मूर्ति कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर पर होगी।

**शोकाकुल-** अनूप कुमार- आरती, पोशी, यांशी, विजयलक्ष्मी- शैलेंद्र, शैलेश, दिवीशा व समस्त परिवार

**नम्बर मिलाइए 9587884433**

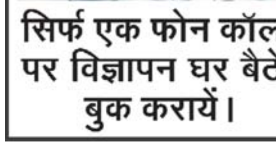

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

**नोटिस सर्व साधारण सूचनार्थ**
हस्व हिदायत श्री सांवरमल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री किशनाराम शर्मा जाति ब्राह्मण आयु 65 साल निवासी वार्ड नम्बर -6 विजयकालोनी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री सांवरमल शर्मा के पुत्र अरूण शर्मा का चाल-चलन ठीक नही है एवं अनैतिक एवं गलत कार्य करता है एवं मेरे पक्षकार के साथ अपना पुत्र धर्म का पालन नही कर रहा है जिसके कारण मेरे पक्षकार ने इसको अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया गया एवं इसका मेरे पक्षकार की चल अचल सम्पति से किसी प्रकार का कोई संबंध नही रहा है, ना ही भविष्य में रहेगा। एवं मेरे पक्षकार के पुत्र अरूण शर्मा से कोई व्यक्ति किसी प्रकार का भी व्यवहार-लेनदेन आदि करेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा, उसके लिये मेरा पक्षकार किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही है।
दिलीप कुमार मंगावा, एडवोकेट, मो. 9929959265

**खोया पाया**
मेरे मकान नं. डी-151, निर्माण नगर के मूल दस्तावेज जेडीए का लीज प्रमाण पत्र नक्शा एवं स्टाम्प रास्ते में कहीं गिर गये मिलने पर सूचित करें। अभिषेक कुमार बाबेल- मो. 8209171394

**खोया पाया**
My property documents lost in Jothwara Jaipur Patta Vilekh No. 11906.reg No. 3122/L If Found/seen Contact- 9509848497

I have lost Power of Attorney, Possession Letter, NOC of my Plot no. 2/511, Jawahar Nagar, Jaipur If Found Please inform Shilpi Mehta W/o Naveen Mehta

कृष्णा को ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि. की योजना कृष्णा कॉलोनी के प्लॉट नं. A-15-B के सोसायटी के मूल पट्टा ,साइट प्लान रसीद खो गए है। सूचित करें- मुन्नी बेगम +91 7851018274

मेरा मकान सं. 185/56, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र गुम हो गया है मिलने पर सम्पर्क करें। नरेन्द्र सिंह - 9414633632

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 34/2023
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री नटवर गोपाल मालपाणी, अध्यक्ष/प्रन्यासी श्री सुखलाल राठी चैरिटेबल ट्रस्ट 2379, राठी धर्मशाला धुला हाउस के पास, बापू बाजार जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 06 जयपुर 1988 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत न्यास की बैठक दिनांक 11.04.2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रन्यास की नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर नवीन सदस्यों के नामों को दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 6.6.23 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 14.7.23
मोहर अदालत
रतनलाल योगी (आर.ए.एस)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

**आम सूचना** सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अलाउद्दीन पुत्र जहूर मोहम्मद एवं मोहम्मद आरिफ पुत्र अलाउद्दीन निवासी 1-घ-4, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, जयपुर ने मोहम्मद साजिद व मोहम्मद वाहिद से मकान नंबर डी-17 नाहरी का नाका-पूर्व योजना, शास्त्रीनगर, जयपुर का पूर्वी -उत्तरी कॉर्नर भाग, क्षेत्रफल गोलाई काटकर 126.07 वर्गगज है को एवं मोहम्मद अजहरूद्दीन पुत्र अलाउद्दीन ने उक्त संपत्ति का पश्चिमी भाग, क्षेत्रफल 136 वर्गगज है, को क्रय करने का इकरार किया है यदि उक्त बेचान के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था को कोई उज्र/आपत्ति हो तो , मुझ अधिवक्ता से मय सबूत/दस्तावेजात के 7 दिवस के भीतर सम्पर्क करे, अन्यथा उसके पश्चात कोई भी उज्र/आपत्ति मान्य नहीं समझी जायेगी। अतः सूचित रहे।
(अब्दुल सलीम खां) एडवोकेट, मो. नं.- 9829098127

**कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय**
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/836 दिनांक-13.06.2023
**जाहिर आम सूचना** सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्लेट संख्या 141/सी-601, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 51.33 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री दिलीप कुमार भाटिया पुत्र श्री बुलचन्द भाटिया को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 515 दिनांक 29-6-2016 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त प्लेट का भौतिक कब्जा दिनांक 22-8-2016 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 678 दिनांक 8-8-2016 के द्वारा श्री दिलीप कुमार भाटिया पुत्र श्री बुलचन्द भाटिया के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात श्री दिलीप कुमार भाटिया के द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री तोरन सिंह को मुख्यारआम धारक नियुक्त कर दिया गया। उक्त मुख्यारआम का उप पंजीयक कार्यालय जयपुर में दिनांक 10-11-2014 को निष्पादन करवा लिया गया। मुख्यारआम धारक द्वारा श्री दिलीप कुमार भाटिया के पक्ष में उक्त प्लेट के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 6-9-2016 को करवाया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 26-4-2019 के द्वारा श्री मुरलीधर मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद राय के नाम हस्तान्तरण कर दिया गया। इसके पश्चात श्री मुरलीधर मिश्र की मृत्यु दिनांक 5-3-2023 को हो जाने के कारण इनकी पुत्री श्रीमती सुरेखा शर्मा पत्नी श्री नरेन्द्र शर्मा ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त प्लेट को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती सुरेखा शर्मा पत्नी श्री नरेन्द्र शर्मा के पक्ष में उक्त प्लेट के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

**कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय**
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/835 दिनांक-13.06.2023
**जाहिर आम सूचना** सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 71/08, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 142.25 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री सुरेशकुमार मंगलानी पुत्र श्री प्रकाश नारायण मंगलानी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 900 दिनांक 01-08-1998 को जारी किया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3421 दिनांक 5-2-1999 के द्वारा श्री प्रकाश नारायण मंगलानी का नाम जोड़ दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 18-3-1999 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 795 दिनांक 10-11-2021 के द्वारा श्री सुरेश कुमार मंगलानी एवं श्री प्रकाश नारायण मंगलानी के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 31-12-2021 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री प्रकाश नारायण मंगलानी की मृत्यु दिनांक 6-3-2023 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर श्री जितेन्द्र मंगलानी पुत्र श्री घनश्याम मंगलानी ने 1/2 अविभाजित हिस्से का मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री सुरेश कुमार मंगलानी एवं श्री जितेन्द्र मंगलानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

2743 22-5-23 Form No. 3
[See Regulation-15 (1) (a)] / 16(3)
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR**
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
**Case No.: OA/550/2022**
**Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.**
Exh. No. 8796
**HDFC BANK vs VIJAY CHELLANI**
To, (1) VIJAY CHELLANI D/W/S/O-HARISH KUMAR CHELLANI, 76, RAJIV VIHAR, MANGYAWAS, NEW SANGANER ROAD, NEAR ANURAG NURSING HOME, JAIPUR Jaipur, RAJASTHAN -302020. Also At. VIJAY CHELLANI S/O HARISH KUMAR CHELLANI, PROPRIETOR OF M/S RAMA TYPING INSTITUTE ADD- SHOP NO-02, NEW COLONY, MI ROAD, PANCH BATTI JAIPUR, RAJASTHAN -302001
**SUMMONS**
WHEREAS, **OA/550/2022** was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on **18.05.2023.**
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/ notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of Debts of **Rs. 3235323/-** (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the defendants are directed as under:- **(i)** to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; **(ii)** to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; **(iii)** you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; **(iv)** you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; **(v)** you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar** on **25/07/2023** at **10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: **22/05/2023.**
Seal **Registrar, Debts Recovery Tribunal, Jaipur**

**आम सूचना** मेरी अभिभाष्या श्रीमती सुंनीता मित्तल पत्नी स्व. सुभाष चन्द मित्तल निवासी प्लाट 384, संजय नगर डी. जोशी मार्ग, कालवाड रोड, जयपुर का पुत्र दीपक कुमार मित्तल पुत्र स्व. सुभाष चन्द मित्तल मेरे अभिभाष्य के कहने, सुनने में नहीं है इसलिये मेरी अभिभाष्य अपनी समस्त प्रकार की चल, अचल सम्पत्ति, सामाजिक सम्बन्धों से दीपक कुमार मित्तल को बेदखल करती है, मेरे अभिभाष्य की चल अचल सम्पत्तियों में इसका कोई हक, अधिकार नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति/संस्था इत्यादि इससे किसी भी प्रकार का सव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
(दिलीप कुम्भज) एडवोकेट, मो. नं. 94146-23996

**नाम परिवर्तन**

मैं संदीप आलम चंदानी आज से अपना नाम बदल कर संदीप आलमचंदानी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार आलमचंदानी निवासी 23, पार्थ सारथी रेजीडेन्सी, एफ-2, गणपति नगर, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर रख रहा हूँ भविष्य में मुझे मेरे उक्त नए नाम से ही जाना पहिचना जावे

मैंने अपना नाम दिव्या प्रसाद से दिव्या भटनागर वर्ष 2023 में रख लिया है भविष्य में मुझे दिव्या भटनागर के नाम से जाना जाये, 193,प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर 302021

मेरा नाम मीना से मीना सुरेश सावलानी (Meena Suresh Sawiani) रख लिया है। आगे से मुझे मीना सुरेश सावलानी पत्नी सुरेश सावलानी के नाम से जाना जावे। पता-237, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर, (राजस्थान) 302016

मैंने अपना नाम मनीषा चौधरी (Manisha Chaudhari) से बदलकर मनीषा चौधरी (Manisha Choudhary) पत्नी- वेदप्रकाश, पुत्री सुरेंद्र सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे मनीषा चौधरी (Manisha Choudhary) के नाम से जाना जावे, पता-5/378, एस.एफ.एस अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर।

मेरे पासपोर्ट नं. Z4183430 में मेरा नाम पूजा दर्ज कर दिया गया है जबकि मेरा वास्तविक व पूरा नाम पूजा रानी है। भविष्य में मुझे पूजा रानी पत्नी श्री संजय सिंह चौहान एवं पुत्री श्री जयसिंह के नाम से जाना जावे। पता- 68-ए 1, भगवती नगर, निवारू रोड, जयपुर

मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम इरशाद पता मील खेडा, नोआबाद, तह.पहाडी, जिला भरतपुर दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम मोहम्मद इरशाद व पता 27, आयशा नगर-एल, खो-नागोरियान, जयपुर है भविष्य में मुझे मोहम्मद इरशाद पुत्र इसाब खॉं के नाम से जाना जाये।

मैंने मेरा नाम नजमा बेगम से बदलकर नजमा (Najama) रख लिया है। मेरे आधार कार्ड व सभी दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है। भविष्य में मुझे इसी परिवर्तित नाम से जाना व पहचाना जाए। नजमा (Najama) पत्नी नसीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 2, परसरामपूरी, न्यू इंद्रा कॉलोनी, पार्क वाली गली, जैनब मस्जिद के पास, जयपुर जिला जयपुर प्रान्त राज. पिन कोड 302002

मेरा नाम मीना से मीना सुरेश सावलानी (Meena Suresh Sawlani) रख लिया है। आगे से मुझे मीना सुरेश सावलानी पत्नी सुरेश सावलानी के नाम से जाना जावे। पता-237, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर, (राजस्थान) 302016

I Maniesh Kumar S/o Ramesh Kumar Meena residing at Manaksas, Jhunjhunu Rajasthan-333801, have changed my name to Naveen Meena.